



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265571
CG-DL-E-21082025-265571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3711]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 3711]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

का.आ. 3815 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया रा.रा.130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी. 94.000 तक के भू-खण्ड (बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व एवं भू-अर्जन), कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया रा.रा.130) के कि.मी. 53.300 से कि.मी.94.000 तक (बिलासपुर-कटघोरा सेक्शन) संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: कोरबा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पौंदी - उपरोड़ा					
गांव का नाम: कापूबहरा					
1	348/1/kh	निजी (निजी)	असिंचित	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
2	353/2/Dh	निजी (निजी)	असिंचित	0.049 (हेक्टेयर)	0.049
3	381/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
4	381/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
5	381/3	निजी (निजी)	असिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
गांव का नाम: जुराली					
6	250/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.109 (हेक्टेयर)	0.109
7	251/4	निजी (निजी)	सिंचित	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
8	251/5	निजी (निजी)	सिंचित	0.077 (हेक्टेयर)	0.077
9	256/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.069 (हेक्टेयर)	0.069
10	260/7	निजी (निजी)	असिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
11	418/5	निजी (निजी)	असिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
12	458/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.134 (हेक्टेयर)	0.134
13	459/1G	निजी (निजी)	असिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
14	487/1kh	निजी (निजी)	असिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
15	568/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
16	569/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.036 (हेक्टेयर)	0.036

17	569/12	निजी (निजी)	असिंचित	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
18	569/6	निजी (निजी)	असिंचित	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
19	570/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
20	570/3	निजी (निजी)	असिंचित	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
21	570/4	निजी (निजी)	असिंचित	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
22	573/2kh	निजी (निजी)	असिंचित	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
23	589	निजी (निजी)	सिंचित	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
24	601/13	निजी (निजी)	असिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
25	601/16	निजी (निजी)	असिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
26	601/17	निजी (निजी)	असिंचित	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
27	601/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.057 (हेक्टेयर)	0.057
28	601/3	निजी (निजी)	असिंचित	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
29	607/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
30	607/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
31	607/3	निजी (निजी)	असिंचित	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
तालुक का नाम: पाली					
गांव का नाम: घुईचुंवा					
32	126/1Dh/1	निजी (निजी)	असिंचित	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
33	126/1Dh/2	निजी (निजी)	असिंचित	0.045 (हेक्टेयर)	0.045
Total					1.372

[फा. सं. NHAI/LA/14012/01/Notif.-CG/Bilaspur/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2025

S.O. 3815(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as said Act,) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.) maintenance, management and operation of National Highways No.111 (New NH-130), on the stretch of land from Km. 53.300 to Km. 94.000 (Bilaspur-Katghora) including Pali, Sutarra & Katghora bypass in District Korba (C.G.) the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent Authority (Land Acquisition) and Sub Divisional Officer (Revenue) Katghora, District Korba (C.G.) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling with in the stretch of land from Km. 53.300 to Km. 94.000 (Bilaspur-Katghora section) of National Highway No.111 (New NH-130) in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: KORBA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Poundi -Uproda					
Village: Kapubahra					
1	348/1/kh	Private	Non Agriculture	0.061 (Hectare)	0.061
2	353/2/Dh	Private	Non Agriculture	0.049 (Hectare)	0.049
3	381/1	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
4	381/2	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
5	381/3	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
Village: Jurali					
6	250/1	Private	Non Agriculture	0.109 (Hectare)	0.109
7	251/4	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
8	251/5	Private	Agriculture	0.077 (Hectare)	0.077
9	256/2	Private	Non-Agriculture	0.069 (Hectare)	0.069
10	260/7	Private	Non Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
11	418/5	Private	Non Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
12	458/1	Private	Non Agriculture	0.134 (Hectare)	0.134
13	459/1G	Private	Non Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024
14	487/1kh	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
15	568/2	Private	Non Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
16	569/1	Private	Non Agriculture	0.036 (Hectare)	0.036
17	569/12	Private	Non Agriculture	0.032 (Hectare)	0.032
18	569/6	Private	Non Agriculture	0.081 (Hectare)	0.081
19	570/2	Private	Non Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
20	570/3	Private	Non Agriculture	0.032 (Hectare)	0.032
21	570/4	Private	Non Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
22	573/2kh	Private	Non Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
23	589	Private	Agriculture	0.024 (Hectare)	0.024

24	601/13	Private	Non Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
25	601/16	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
26	601/17	Private	Non Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
27	601/2	Private	Non Agriculture	0.057 (Hectare)	0.057
28	601/3	Private	Non Agriculture	0.028 (Hectare)	0.028
29	607/1	Private	Non Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
30	607/2	Private	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
31	607/3	Private	Non Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
Taluk: Pali					
Village: Ghuichuwa					
32	126/1Dh/1	Private	Non Agriculture	0.045 (Hectare)	0.045
33	126/1Dh/2	Private	Non Agriculture	0.045 (Hectare)	0.045
Total					1.372

[F. No. NHAI/LA/14012/01/Notif.-CG/Bilaspur/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director